[21/3/2023]

प्रश्न सं. [क्र. 2904]

[redacted] परिशिष्ट अ

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 135 वीं विशेष बैठक दिनांक 10.09.2020 का कार्यवाही–विवरण

संचालक मण्डल की 135 वीं विशेष बैठक दिनांक 10.09.2020 को अपरान्ह 2.00 बजे म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के सभा कक्ष में श्री कमल पटेल, माननीय अध्यक्ष, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची परिशिष्ठ "अ" पर है। इस बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

प्रस्ताव कमांक –01

मंडी समिति सेवा के कर्मचारियों का आमेलन मंडी बोर्ड सेवा में किए जाने के संबंध में।

निर्णय– संचालक मण्डल द्वारा विचारोपरांत मंडी समितियों की सेवाओं को राज्य मंडी बोर्ड सेवा में शामिल करने हेतु सैद्धांतिक सहमति देते हुये इसके कारण मंडी अधिनियम/उपविधि/लेखा नियम/सेवा विनियम/निधियों के विभाजन के अनुपात में परिवर्तन इत्यादि अन्य अनुशांगिक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये सामेकित कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव कमांक –02

बोर्ड की अवशेष निधि से राज्य मंडी बोर्ड सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशन भुगतान करने के सबंध में।

निर्णय– संचालक मण्डल द्वारा यह पाया गया कि उक्त प्रस्ताव का केन्द्र शासन द्वारा गजट नोटीफिकेशन दिनांक 05 जून 2020 द्वारा "THE FARMERS PRODUCE TRADE AND COMMERCE (PROMOTION AND FACILITATION) ORDINANCE 2020" से कोई संबंध नहीं है, परन्तु आगामी वर्षो में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी के कारण वर्तमान व्यवस्था अंतर्गत संकलित आरक्षित निधि से समस्त स्तत्वों का भुगतान संभव नहीं होगा।

वर्तमान में मंडी बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन/उपादान, अन्य भत्ते के निर्बाध रूप से भुगतान करने के लिए बोर्ड के पास उपलब्ध अधिशेष निधि रूपये 486 करोड में से रूपये 200 करोड़ (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) आरक्षित निधि में स्थानांतरित करने तथा भविष्य में आवश्यकता के अनुरूप आरक्षित निधि में पर्याप्त राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु समुचित उपाय एवं कार्यवाही करने हेतु अनुमति प्रदान की गई।

प्रस्ताव कमांक –03

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा कृषि उपज मंडी समितियों को संचालनालय कृषि विपणन में मर्ज करने बावत्।

निर्णय– संचालक मण्डल द्वारा चर्चा में यह पाया गया कि वर्तमान में शासन द्वारा संचालनालय कृषि विपणन की कार्यालयीन व्यवस्था के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वर्तमान परिपेक्ष्य में उक्त प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

प्रस्ताव कमांक –04

संयुक्त संगठन मोर्चा मंडी बोर्ड के ज्ञापन दिनांक 27.08.2020 में "नियमन शाखा" से संबंधित विषयों की संक्षेपिका ।

निर्णय– संचालक मण्डल प्रस्ताव अंतर्गत संयुक्त संगठन मोर्चा मंडी बोर्ड के प्रश्नाधीन ज्ञापन से संबंधित मुद्दो पर तथ्यात्मक स्थिति से अवगत होते हुये निर्देश दिये गये कि संयुक्त संगठन मोर्चा को मंडियों के सुचारू संचालन के संबंध में मंडी अधिनियम/नियम संबधी आवश्यक सुझाव शासन को प्रस्तुत करने हेतु संसूचित किया जाये।

प्रस्ताव कमांक –05

मंडी बोर्ड/मंडी समिति के कर्मचारियों/अधिकारियों के संबंध में म.प्र. शासन, वित्त विभाग से चर्चा के लिये प्रस्ताव।

निर्णय– संचालक मण्डल द्वारा चर्चा में यह पाया गया विगत 03 माह में मंडी फीस से प्राप्त आय में कोई गिरावट नहीं आई है। ऐसे में वित्त विभाग से प्रश्नागत विषय में चर्चा की तत्कालीक आवश्यकता नहीं है। मंडी कर्मियों को प्रथमतः यह विचार करने की जरूरत है कि किन परिस्थितियों में वर्तमान में संचालित मंडी व्यवस्था के बावजूद केन्द्र शासन द्वारा "THE FARMERS PRODUCE TRADE AND COMMERCE (PROMOTION AND FACILITATION) ORDINANCE 2020" लाया गया है। इसके परिपेक्ष्य में मंडियों की वर्तमान व्यवस्था की कमियों को चिन्हांकित कर निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए किसानों को मंडियों में उपज विकय हेतु आकर्षित करने हेतु सुविधा उपलब्ध कराते हुये मंडियों की आय बढ़ाने हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाये।

वैठक माननीय अध्यक्ष को धन्यवाद के उपरांत संपन्न हुई।

11.9.20
(संदीप यादव)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

15/9/2020
(कमल पटेल)
अध्यक्ष
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल